International Research Journal of Management Science & Technology

ISSN 2250 – 1959(0nline)
2348 – 9367 (Print)

An Internationally Indexed Peer Reviewed & Refereed Journal

www.IRJMST.com
www.isarasolutions.com

Published by iSaRa Solutions

महिला सशक्तिकरण

डॉ इन्द्रजीत डॉ प्रविण्यलता मारकण्डेय

प्रस्तावना – वर्तमान युग में स्त्रियों की बहुत सी रूढ़िवादी तथा शोषणकारी व्यवस्थाओं से छुटकार मिल चुका है, लेकन दूसरे समाजों की तरह भारतीय समाज की समाजिक व्यवस्था आज भी पुरूष प्रधान है तथ प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रू‍प से महिलाओं को व्यावहारिक रूप से वे अधिकार नहीं मिल सके जो पुरूषों को प्राप्त हो रहे है। यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था के टूटने के बाद जब समाज के सभी वर्गों को स्वतन्त्रता और समानता के अधिकार प्राप्त होने लगे तो पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव से भारत में भी बहुत सी जागरूक महिलाओं ने समानता के अधिकारों की मांग करना आरंभ कर दी।

महिला सशक्तिकरण – महिला सशक्तिकरण एक व्यापक विषय है जिसका संबंध महिलाओं के लिए सामाजिक न्याय,स्वतन्त्रता, समानता तथा एकीकृत सामाजिक विकास के विचार से है। इसका उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक स्तर पर आत्मनिर्भर बनाकर उनकी शक्ति में इस तरह वृद्धि करना है जिसमें समाज में फैली अथवा राजनीतिक जीवन पर महिलाओं का अधिकार होना नहीं है बल्कि सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा महिलाओं में एक ऐसी जागरूकता उत्पन्न की जाती है कि वे आत्मनिर्भर बनकर अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने के साथ ही आर्थिक तकाा राजनीतिक जीवन में सक्रिय भागीदारी कर सकें।

महिला सशक्तिकरण सामाजिक व्यवस्था से संबंधित एक गुणात्मक परिवर्तन से है। इस प्रकार महिलाओं को उनकी परंपरागत निर्योग्यताओं से छुटकारा दिलाना, सामाजिक एवं आर्थिक कानूनों के द्वारा महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार देना तथा विभिन्न विकास कार्यक्रमों के द्वारा महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करना महिला सशक्तिकरण के प्रमुख आधार है।

महिला सशक्तिकरण का आरंभिक चरण – यूरोप में फ्रांस की क्रांति तथ इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के साथ महिलाओं में एक ऐसी जागरूकता पैदा हुई जिसके फलस्वरूप महिलाओं ने अनेक संगठन बनाकर अपनी स्थिति में सुधार करना आरंभ कर दिया। 19 शताब्दी के समाज सुधार आंदोलनों के द्वार स्त्रियों को बहुत सी पंरपरागत निर्योग्यताओं तथा कुप्रथाओं से छुटकारा दिलाने का प्रयत्न किया जाने लगा। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में परिवर्तन का पहला चरण था।

राजाराममोहन राय ने सती प्रथा, विधवाओं के दुव्यर्ववहार, विधवा पुर्नविवाह पर नियंत्रण, बहुपत्नी विवाह, बालविवाह तथा सम्पति अधिकारों से स्त्रियों का वंचन जैसी दशाओं का व्यापक विरोध किया। इसी के फलस्वरूप 1929 में ब्रिटीश सरकार ने एक कानून के द्वारा लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की तथा अन्य कानून के द्वारा अंर्तजातीय विवाह को मान्यता दी गई।

ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा की दिशा में व्यापक प्रयत्न किए। महिला शिक्षा को महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए महर्षि कर्वे ने आव्श्यक माना इसके फलस्वरूप उन्होंने भारत के पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करके महिला शिक्षा के प्रति समाज में विशेष चेतना पैदा की। प्रार्थना समाज जैसे संगठन ने भी स्त्रियों के शोषण का विरोध करने के साथ ही विधवा आश्रमों और कन्या पाठशालाओं की स्थापना करना प्रारंभ कर दिया।

आर्य समाज वह पहला प्रभावपूर्ण संगठन बन गया जिसने सम्पूर्ण भारत में आर्य कन्या पाठशाला स्थापित करके महिला शिक्षा का प्रसार करने का व्यापक प्रयत्न किया।

स्वामी विवेकानन्द ने भी महिलाओं को पूरूषों के समान अधिकार देने और समाज में उन्हें सम्मानजनक स्थान दिलाने की जोरदार वकालत की।

19 वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में जब भारत के राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन ने जोर पकड़ना शुरू किया तो लैंगिक विभेद को समाप्त करके महिलाओं के अधिकारों को इस आंदोलन में एक अभिन्न अंग के रूप में देखा जाने लगा। इसके फलस्वरूप 1890 में रमाबाई तथा स्वर्णकुमारी देवी के प्रयत्नों से पहली बार कलकता में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन में लगभग सब महिलाओं ने भाग लिया। धीरे–धीरे आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने लगी। सन् 1917 में श्रीमती एनिबेसेन्ट ने यहां भारत महिला संगठन के नाम से पहले महिला संगठन की स्थापना की इसके साथ ही भारत में अनेक दूसरे महिला संगठन जैसे पूना सेवा सदन, सरोजिनी दत्त महिला समाज, महिलाओं को राष्ट्रीय संघ तथा ईसाई नवयुवती संघ आदि। इन संगठनों के द्वारा जब महिलाओं के लिए मताधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सम्पत्ति अधिकार के लिए आवाज उठाना शुरू की गयी तो कांग्रेस ने सैद्धांतिक रूप से यह स्वीकार कर लिया कि प्रांतों में चुनाव होने की दशा में महिलाओं को मताधिकार दिया जायेगा।

स्वतंत्र भारत में महिला सशक्तिकरण

(1) महिलाओं द्वारा किये गये प्रयत्न – भारत में स्वतंत्रता के बाद जब किसानों, मजदूरों तथा समाज के दूसरे उपेक्षित वर्गों ने अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न आंदोलन आरंभ किया तो महिलाओं ने भी लिंग पर आधारित असमानता, महिला कामगरों की काम करने की दशाओं, विवाह संबंधी समस्याओं तथा नारी उत्पीड़न के विरोध में आवाज उठाना आरंभ कर दी। 1960 के दशक में 'आन्ध्र महिला सभा'। गुजरात में स्वरोजगार संस्था, तमिलनाडु में कार्यकारी महिला फोरम तथा महाराष्ट्र में 'श्रमिक महिला संगठन' की स्थापना हुई। सन् 1970 के बाद में महिलाओं ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए राजस्थान तथा उत्तरायण में चिपकों आंदोलन प्रारंभ करके अपनी क्षमता का परिचय दिया। 1980 के दशक में दहेज विरोधी चेतना बढ़ाने के लिये व्यापक मार्च का आयोजना किया गया। तरह–तरह के विज्ञापनों, पोस्टरों, चित्रों और अश्लील लेखों ने महिलाओं की छवि को बहुत थोड़े और अनैतिक रूप से प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए संगठनों द्वारा अनेक आंदोलन किये गये।

(2) संवैधानिक प्रावधान – भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के द्वारा भी अनेक ऐसे प्रावधान किए गए जिनके द्वारा सम्पूर्ण देश में लिंग पर आधारित असमानताएं समाप्त कर दी गयी। संविधान के अनुच्छेद 14 में स्पष्ट किया गया कि देश का कानून सभी स्त्री–पूरूषों के लिए समान है। अनुच्छेद 15 व 16 में यह प्रावधान किया गया कि लिंग के आधार पर राज्य द्वारा अपने नागरिकों में किसी तरह का विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 39 तथा के अनुसार राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया गया है कि महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए विशेष उपाय किय जाये अनुच्छेद 42 के अन्तर्गत स्त्रियों के कार्य की दशाओं में सुधार करने तथा महिलाओं को मातृत्व अवकाश संबंधी सुविधाएं देने का प्रावधान है। अनुच्छेद 51 के उपबंध के द्वारा राज्यों के यह निर्देश दिया गया कि महिलाओं के सम्मान को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली प्रथाओं को समाप्त करने से संबंधित कानून बनाए जाए।

(3) महिला सरंक्षण कानून – महिलाओं के जीवन से संबंधित वैवाहिक परिवारिक तथा आर्थिक समस्याओं का समाधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा अनके महत्वपूर्ण कानून बनाए गये। स्वतन्त्रता के बाद विशेष विवाह अधिनियम 1954 के द्वारा विभिन्न धर्मों एवं जातियों के बीच विवाह को कानून द्वारा मान्यता दे दी गई। हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा स्त्रियों को शोषण अथवा पति की कुछ नियोग्याताओं की दशा में उससे विवाह–विच्छेद करने और भरण पोषण की राशि प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त विधवा द्वारा पुर्नविवाह करने का मान्यता दे दी गई। हिन्दू नाबालिगी तथा सरंक्षण अधिनियम 1956 में विधवा को अपने

नाबालिग बच्चे और उसकी संपत्ति का सरंक्षक बनने का अधिकार दिया गया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 यह महत्वपूर्ण कानून है जिसके द्वारा महिलाओं का एक माता, पत्नी तथा पुत्री के रूप में परिवार की संपत्ति में पुरूषों के समान अधिकार दिये गये। 1956 में महिलाओं को अनैतिक व्यापार से बचाने के लिए स्त्रियों व कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 पास करके इसे सन् 1957 से लागू कर दिया गया। दहेज के कारण महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए सरकार ने दहेज निरोधक अधिनियम 1961 पास किया।

(4) महिला सशक्तिकरण के विशेष कार्यक्रम – सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा उनकी शक्ति में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा अनेक कानून तथा कार्यक्रम लागू किए गए, लेकिन सन् 1990 के दशक से यह महसूस किया जाने लगा कि महिलाओं की दशा में केवल कानून के द्वारा ही अधिक सुधार नहीं लाया जा सकता। महिला सशक्तिकरण के लिए ऐसे कार्यक्रम आवश्यक है जो रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को जागरूक बनाकर उसकी प्रस्थिति में सुधार कर सके। इसके लिए सन् 1992 में एक राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। जो विभिन्न महिला कानूनों की समीक्षा करके महिलाओं को शीघ्र न्याय दिलवाने में उनकी सहायता कर सके। रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं को विशेष सुविधाएं देने के लिए सन् 1993 में एक राष्ट्रीय महिला कोष स्थापित किया गया। 1995 में महिला समृद्ध योजना आरंभ की गई जिसके द्वारा महिलाओं को स्वयं सहायता समूह का गठन करके अपना अलगर रोजगार आरंभ करने के लिए वित्तिय सहायता देना आरंभ की गयी । वर्तमान में इसे स्वयं सिद्धा कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है।

संदर्भग्रंथ सूची

(1) डॉ. जी.के.अग्रवाल 'समाजशास्त्र' साहित्य भवन पब्लिकेशन्स आगरा 2019

ISARA INSTITUTE OF MANAGEMENT & PROFESSIONAL STUDIES

WWW.IIMPS.IN

EARN YOUR

MBA

Accreditation & Ranking

UGC / NCTE Approved.

INFO@IIMPS.IN

011-41005174

RESEARCH GATEWAY

STOP PLAGIARISM

1 Submit your content in Word File.

2 Get report in 48 hrs.

3 *Missing content or references will be fixed.

4 Citation for your work.

5 Get accurate user friendly report.

researchgateway.in | info@researchgateway.in

+91-9205579779

AROGYAM ONLINE

Arogyam Ayurveda

Holistic Healing through herbs

100% NATURAL

PARIVARTAN PSYCHOLOGY CENTER

COLOR PSYCHOLOGY : HOW COLOR AFFECT YOUR CHILD

BLUE — Calms your Child's Mind & Body

YELLOW — Promotes Concentration, Stimulates the Memory

PINK — Evokes Empathy, makes your Child Calm

RED — Excites and energizes your Child's body

GREEN — Improves Reading speed and Comprehension

www.parivartan4u.com

Confuse about your children's future?

भारतीय भाषा, शिक्षा, साहित्य एवं शोध

ISSN 2321 – 9726

WWW.BHARTIYASHODH.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE & TECHNOLOGY

ISSN – 2250 – 1959 (0) 2348 – 9367 (P)

WWW.IRJMST.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF COMMERCE, ARTS AND SCIENCE

ISSN 2319 – 9202

WWW.CASIRJ.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES

ISSN 2277 – 9809 (0) 2348 - 9359 (P)

WWW.IRJMSH.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF SCIENCE ENGINEERING AND TECHNOLOGY

ISSN 2454-3195 (online)

WWW.RJSET.COM

INTEGRATED RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT, SCIENCE AND INNOVATION

ISSN 2582-5445

WWW.IRJMSI.COM

JOURNAL OF LEGAL STUDIES,POLITICS AND ECONOMICS RESEARCH

WWW.JLPER.COM